

# ‘हमारी हालत बलि के बकरे सी थी’

कुर्बान अली  
कंसलटेंट  
दूरदर्शन न्यूज़

बात 1978 की है। कुलदीप नैयर पाकिस्तान गए थे और वहां से आकर उन्होंने एक लेख लिखा। पाकिस्तान में रहने वाले मेरे रिश्तेदार कुछ और हाल बताते थे, जबकि कुलदीप नैयर ने अपने लेख में इससे अलग हटकर विवरण दिया था। ऐसे ही नादानी में मैंने उन्हें एक खत लिख दिया। यही पत्र लिखना मेरे पत्रकार बनने का कारण बना। उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम जो कह रहे हो वह सही हो, लेकिन मैंने जो देखा वह लिखा। कभी दिल्ली आओ तो मिलो। यह मेरे लिए काफी प्रोत्साहित करने वाली बात थी कि उनके जैसा वरिष्ठ पत्रकार मेरे जैसे युवा की राय पर ध्यान दे रहा है।

सन् 80 से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया। इस बीच मैंने स्थानीय स्तर की बहुत सारी रिपोर्टिंग की, लेकिन 85 में अलीगढ़ जिले के अतरौली कस्बा में एक घटना घटी। वहां पुलिसवाले एक लड़के को गोली मारकर उसकी लाश को बहुत दूर तक खींचकर ले गए थे। उस पर मैंने जनसत्ता में एक लेख लिखा था। यह मेरी पहली रिपोर्टिंग थी राष्ट्रीय स्तर के किसी अखबार में।

मेरी सबसे यादगार रिपोर्टिंग 6 दिसंबर 1992 की है। इस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी था। हालांकि मैं उस समय संडे ऑफर्वर के लिए रिपोर्टिंग करने गया था लेकिन 85–86 से ही मैं बीबीसी का स्ट्रिंगर भी था। इसलिए यह रिपोर्टिंग मैंने बीबीसी उर्दू सर्विस के लिए की। आज भी लोग मुझे उस रिपोर्ट के लिए याद करते हैं। मुझे याद है मैं और मार्क टली पांच दिसंबर को अयोध्या पहुंच गए थे। फैजाबाद के शाने–अवध होटल में हम रुके थे और उसी दिन लगने लगा था कि मस्जिद ढहा दी जाएगी। छह तारीख को दस बजे हमलोग वहां पहुंच गए थे। 11 बजकर 20 मिनट पर वहां पत्थरबाजी शुरू हुई। लोगों ने अवरोधक तोड़कर मस्जिद पर हमला कर दिया। उस वक्त मेरे साथ मार्क टली (उस समय बीबीसी ब्यूरो प्रमुख) भी थे। उस समय अयोध्या में पूरी दुनिया का मीडिया था। मार्क को रिपोर्ट फाइल करनी थी। उस समय न तो सेल्युलर फोन थे और न ही अयोध्या में कोई दूसरी व्यवस्था थी।

मार्क ने फैजाबाद के सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस आकर रिपोर्ट फाइल की। हमने भी अपने दफ्तर में बताया कि लोगों ने अब बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया है। इसके बाद हमने दोबारा जाने की कोशिश की। लेकिन रास्ते में अड़चनें लगा दी गईं। फैजाबाद और अयोध्या के बीच चार–पांच किलोमीटर की दूरी है। हमें फिर से अयोध्या जाने नहीं दिया गया। हम इंतजार करने लगे कि रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अयोध्या जाने लगेगी तो उनके साथ चले जाएंगे। वे लोग जब जाने लगे तो उन्हें भी रोक दिया गया। चूंकि हमें रिपोर्ट करनी थी इसलिए हम एक दूसरे रास्ते से गए। स्थानीय अखबार दैनिक जागरण के संपादक विनोद शुक्ल और उनकी पत्नी के साथ हम अयोध्या पहुंचने में सफल रहे।



(पुलिसवालों) के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उस समय के उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित का बयान आया था कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि इससे पुलिसवालों का मनोबल गिर जाएगा। बाद में हम जुलिकार की दादी के पास गए थे। हमने कहा कि वह ठीक है और दिल्ली में रह रहा है। उस समय जुलिकार तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन के पास रह रहा था।

इसी तरह रविवार पत्रिका के लिए मैंने देवरिया जिले में हुए नरसंहार, मरिचेहवा कांड की रिपोर्टिंग की थी। उसको कवर करने के लिए मुझे 60 किलोमीटर नेपाल में और 20 किलोमीटर बिहार में चलना पड़ा था। मैं 5–6 किलोमीटर तो पैदल भी चला था। कई जगह हमें अपने कपड़े ऊपर कर पानी में से गुज़रना पड़ा। जंगल पार्टी ने यह नरसंहार किया था।

एक और घटना 1990 की है। उस समय केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी। दिसंबर आते-आते देश भर में माहौल खराब हो गया। रथ यात्रा हो रही थी। उसी जमाने में उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े दंगे हुए। बिजनौर से लेकर आगरा तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भी ऐसा शहर नहीं बचा था जहां दंगे नहीं हुए थे। उस समय मैं संडे ऑब्जर्वर में था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि गृह-युद्ध छिड़ जाएगा और हम कभी भी इससे निकल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं सलाम करता हूं अपने देश को और इसकी जनता को जो सांप्रदायिक नहीं हुई, यह एक बड़ी बात है। ■

प्रस्तुति : प्रभात चन्द्र झा